-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना मटौंध क्षेत्र में वर्ष-2018 में व्यक्ति को जाने से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले तीन अभियुक्तों को दिलाई गई 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 23 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत कस्बा मटौंध में व्यक्ति को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 26.12.2018 को थाना मटौंध क्षेत्रान्तर्गत कस्बा मटौंध के रहने वाले अखिलेश,बरदानी व शोभा द्वारा कस्बा के ही में रतनलाल व वादी बरातीलाल को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर दिया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर पर थाना मटौंध में मु0अ0सं0 147/2018 धारा 307/204/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसएटी पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजीव प्रसाद सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर थाना मटौंध पर मु0अ0सं0 150/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री महेन्द्र द्विवेदी व विमल कुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल यादव व पंकज कुमार तथा पैरोकार आरक्षी संदीप के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय बांदा द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **अखिलेश पुत्र देवीदीन निवासी कस्बा मटौंध थाना मटौंध जनपद बांदा।**
2. **बरदानी पुत्र भुलुवा निवासी कस्बा मटौंध थाना मटौंध जनपद बांदा।**
3. **शोभा उर्फ शोबरन पुत्र मुन्ना निवासी कस्बा मटौंध थाना मटौंध जनपद बांदा।**